

बी०पी० सिंह, निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 05.01.2021 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढ़सारी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.37 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या -

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 05.01.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री पंकज ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी, धनपुर रेंज, गौचर एवं श्री अमित पटेल, सहायक अभियन्ता व श्री अनुज शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, लो०नि०वि० गौचर मौके पर उपस्थित रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया :-

#### वैकल्पिक संरक्षण का निरीक्षण:-

1. इस संरक्षण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है।
2. इस संरक्षण में अधिक संख्या में बांज वृक्षों का पातन हो रहा है।
3. इस संरक्षण में अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।
4. इस संरक्षण में लाभान्वित होने वाली बसावट कम है।

#### प्रस्तावित संरक्षण का निरीक्षण:-

1. वैकल्पिक संरक्षण की तुलना में इस संरक्षण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कम है।
2. यह संरक्षण भू-वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।
3. इस संरक्षण से लाभान्वित होने वाली बसावट वैकल्पिक संरक्षण की तुलना में अधिक है।

निरीक्षण के दौरान कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढ़सारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित संरक्षण में बांज/तिलोंज के 0-10 व्यास वर्ग की 06 पौध एवं विभिन्न व्यास वर्ग के 09 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरक्षण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।

2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।


  
(बी०पी० सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 1591 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।
- 2:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
- 3:- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० गौचर।

  
(बी०पी० सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमौली के अन्तर्गत प्रस्तावित कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढ़सारी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.37 है० वन भूमि हस्तान्तरण

28	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि० 05.01.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री पंकज ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी, धनपुर रेंज, गौचर एवं श्री अमित पटेल, सहायक अभियन्ता व श्री अनुज शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, लो०नि०वि० गौचर मौके पर उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरक्षण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग-2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

तिथि 14-1-2021

स्थान-गोपेश्वर।

(बी०पी० सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

प्रारूप — 22


परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में प्रस्तावित कर्णप्रयाग — नौटी — धैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढ़सारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.37 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण — पत्र ।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के शैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.01.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज / तिलोंज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं:—

क्र0 सं0	प्रजाति भूमि का प्रकार	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग		
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक			
1.	बांज	Quercus	04	03	01	01	03	—	01	—	—	—	—	—	13
2.	तिलोंज	leucotricophora	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02
कुल योग			06	03	01	01	03	—	01	—	—	—	—	15	

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.01.2021 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

  
 (बी०पी० सिंह)  
 वन संरक्षक / निदेशक  
 नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।